न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 36/2018

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र हजारी जाति जाट नि0 मोड़ी, नसीराबाद
—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.2.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 186 रकबा 10–4–0 हाजल खसरा नम्बर 452 रकबा 1.65 है0 की आराजी वादी ने दिनांक 29.6.99 को क्रय की थी। क्रय दिनांक से वादी का उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार भंवरलाल व कानाराम पि0 जोधा से क्रय की थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 2.10.99 से वादी के नाम जमाबंदी में इन्द्राज किया गया। किन्तु आधार जमाबंदी बनाते समय उक्त आराजी बिना किसी आधर के सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 186 रकबा 10–4–0 चौसाला के अनुसार खाता न0 1 से जोधा पुत्र गोपाल गुर्जर के गैर खातेदारी दर्ज हुआ का इन्द्राज अंकित किया गया है। उक्त इन्द्राज बिना नामान्तकरण दर्ज किये अंकित किया गया है। उक्त इन्द्राज के आधार पर वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 9.10.77 से जोधा पुत्र गोपाल को गैर खातेदारी से खतेदारी प्रदान किये जाने का इन्द्राज है। व नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 29.3.99 के अनुसार जोधा के वारिसान भंवरलाल, कानाराम पि0 जोधा का इन्द्राज दर्ज है। एवं भंवरलाल, कानाराम पि0 जोधा द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र उक्त आराजी का बैचान वादी को कर दिया है। उक्त विक्रय पत्र के आधर पर नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 21.10.99 के द्वारा केता वादी के नाम अंकन दर्ज है। जमाबंदी में दर्ज प्रथम इन्द्राज बिना नामान्तकरण के अंकन होने से अविधिक है। व तत्पश्चात समस्त दर्ज नामान्तकरण भी अविधिक है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की विधिक क्रयशुदा है ?
——वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?
——वादी

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

संतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं वादी रामस्वरूप व गवाह शैतान, धनराज के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी की विधिक कयशुदा है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी से पूर्व की चौसाला जमाबंदी में भी विक्रेता की खातेदारी में दर्ज थी। इसी कारण वंर्किग जमाबंदी में विक्रेता के नाम दर्ज की गयी। प्रथम इन्द्राज के बाद गैर खातेदारी से खातेदारी, विरासत व बैचान का नामान्तकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत किया गया है। जिसे अविधिक नही कहा जा सकता है। वादी ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र उक्त आराजी कय की है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का प्रथम इन्द्राज बिना किसी नामान्तकरण के दर्ज हुआ है। व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वादी ने वादग्रस्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 186 रकबा 10–4–0 भंवरलाल व कानाराम पि0 जोधः से जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.6.99 को कय की थ। उक्त विकय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 2.10.99 से वादग्रसत आराजी वादी के नाम वंर्किग जमाबंदी में दर्ज की गयी। उक्त विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तहसीलदार नसीराबाद का कथन है कि खसरा नम्बर 186 वंर्किग जमाबंदी में बिना किसी नामान्तकरण के दर्ज किया गया है जो अंविधिक है। किन्तु वादग्रस्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 186 के चौसाला खसरा नम्बर 105 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019–22 में जोधा पुत्र गोपाल गुर्जर के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 से 23 में भी चौसाला खसरा नम्बर 105 मिन जोधा पुत्र गोपाल के कब्जे काश्त में दर्ज है। उक्त इन्द्राज के आधार पर वंर्किग जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर पर जोधा पुत्र गोपाल गुर्जर को गैर खातेदार दर्ज किया गया। एवं जोधा पुत्र गोपाल का कब्जा काश्त होने के कारण ही नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 9.10.77 से गैर खातेदारी से खातेदारी दी गयी। नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 29.3.99 के अनुसार जोधा की विरासत भंवरलाल व कानाराम के नाम दर्ज की गयी। एवं नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 2.10.99 से उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि चौसाला जमाबंदी से ही उक्त आराजी जोधा पुत्र गोपाल के नाम दर्ज है। जोधा के वारिसों द्वारा उक्त आराजी विधिवत रूप से विकय की गयी व विकय पत्र की पालना भी तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में की गयी। समस्त इन्द्राज जरियें नामान्तकरण के किये गये है। ऐसी स्थिति में बंदोबस्त विभाग को हाल राजस्व अभिलेख में पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था किन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 452 रकबा 1.65 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया जिका उन्हे कोई अधिकार नही था। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश है जिससे सिद्व होता हो कि वादग्रस्त आराजी सही रूप से सिवायचक दर्ज की गयी हो। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 452 रकबा 1.65 है0 की आराजी पर का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 36/2018
पेश करने की दिनांक – 28.3.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 452 रकबा 1.65 है0 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 02 सन् **2019** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner